न्यायालय—सिविज जज जू.डि.. बांदा।

मूलवाद संख्या 447 /2022

हरीकरण बनाम फूलचन्द्र

<u>दिनांक 05.12.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थनापपत्र 15क पर सुना ।

प्रार्थी/वादी हरिकरण की ओर से प्रार्थनापत्र. 15क मय शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद दायर किया था जिसमें कुछ त्रुटियां हो गयी हैं, जिस कारण वाद वापस करने की अनुमति चाही गयी है।

सुना। पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी द्वारा मामले में कुछ त्रुटिया हो जाने के कारणा वाद वापस लेना चाहता है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र 18ग से समर्थित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 15क स्वीकार किया जाता है। वादी को वाद वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है। तदनुसार वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज जू..डि. बांदा